RAEBARELI POLICE

प्रेस नोट दिनांक 01 अप्रैल 2026 **थाना हरचन्दपुर**

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

अवगत कराना है कि वादिनी द्वारा थाना हरचंदपुर पर लिखित तहरीर देकर बताया गया कि दिनांक 22/03/2026 को विजयकांती पत्नी प्रदीप मौर्या निवासिनी ग्राम हरचन्दपुर थाना हरचन्दपुर जिला रायबरेली वादिनी की नाबालिग पुत्री को अपने साथ अपने ससुराल ग्राम हरचन्दपुर ले गयी थी जहां पर विजयकांती के पति प्रदीप मौर्य पुत्र विनोद मौर्य द्वारा उसकी पुत्री के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हरचंदपुर पर **मुकदमा अपराध संख्या 76/2026 धारा 70(2)/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट** अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

श्री रवि कुमार पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हरचन्दपुर पुलिस द्वारा दिनांक 01.04.2026 को मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना स्थानीय के लज्जा प्रीति लॉन के पास से वांछित अभियुक्त **प्रदीप मौर्य पुत्र विनोद मौर्य ग्राम हरचन्दपुर थाना हरचन्दपुर जिला रायबरेली** को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। मु0अ0सं0 76/2026 उपरोक्त में अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

प्रदीप मौर्य पुत्र विनोद मौर्य ग्राम हरचन्दपुर थाना हरचन्दपुर जिला रायबरेली

गिरफ्तार करने वाली थाना हरचन्दपुर पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 हरिकेश सिंह

2.आ0 रत्नेश कुमार

3.म0आ0 मोनिका

सादर
पुलिस अधीक्षक
रायबरेली।